संख्या- 83 /2022 / 413 /चार-2022

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2022

विषय:- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1468/उ0प्र0सं0नि0-1(56)/2017- 18टीसी दिनांक 21 मार्च, 2022 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 162 /2020 / 1840 /चार-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 1170.41 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ में ''प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय'' के नये संग्रहालय भवन के निर्माण हेतु इंटीरियर एक्जीबिट के कार्यों हेतु रू0 1040.35 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए रू0 2210.76 लाख (रूपये बाइस करोड़ दस लाख छिहत्तर हजार मात्र) की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 119.48 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख अड़तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

4. शासनादेश संख्या- 162 /2020 / 1840 /चार-2020 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या-60 /2020 /2927/ चार-2019 दिनांक 20 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

5. प्रायोजना में इंटीरियर एक्जीबिट जैसे विशिष्ट प्रकृति के कार्य उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण कराये जायें। कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय का होगा।

6. यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

7. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

11. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

13. प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय/कार्यदायी संस्था का होगा।

14. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-11-प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, लखनऊ-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15. उक्त स्वीकृति प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

संख्या- 83 /2022 / 413(1) /चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 लखनऊ (यूपीसिडको)।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।